तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3538 / 2003 / गंगानगर पूर्णराम बनाम सुभाष	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी

श्री सुनील कडवासरा, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 10–12–2021

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 1–7–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज कर पत्रावली में आगामी तारीख नियत की है । ।

प्रकरण के संक्षप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष अप्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 3 हेतराम व अन्य के प्रस्तुत किया । दौराने वाद अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 1–7–2003 से खारिज किया गया । उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

निगरानी पर उभय पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि विवादित भूमि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी हेतराम से जरिए इकरारनामा दिनांक 30–10–2001 से क्रय की जा चुकी है । अप्रार्थी द्वारा इकरारनामा का निष्पादन नहीं करवाने के कारण एडीजे श्रीगंगानगर में वाद दायर किया हुआ है जिसमें आगामी पेशी नियत है । इसलिए उक्त वाद में प्रार्थी एक हितबद्ध पक्षकार है। इस वाद में जो भी निर्णय होगा, उससे प्रार्थी के हित प्रभावित होंगे इसलिए प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज कर दिया । चूंकि खरीददार को दावे में प्रभावित पक्षकार माना जाता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3538 / 2003 / गंगानगर पूर्णराम बनाम सुभाष	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कहकर प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया कि प्रार्थी दीवानी न्यायालय से ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्षकार बनने के प्रार्थना–पत्र को गलत आधार पर खारिज किया है । प्रार्थी के अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थी को दावे में सुना जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है । अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जावे । विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । प्रार्थी एक हितबद्ध पक्षकार नहीं है न ही उसके हित इस वाद में निहित है, उसके द्वारा सिविल न्यायालय में अधिकारों हेतु वाद प्रस्तुत किया है । अतः उक्त वाद में प्रार्थी एक आवश्यक पक्षकार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका प्रार्थना–पत्र खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है जिसकी निगरानी पोषणीय नहीं है । अतः निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावे । हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं निगराधीन आदेश का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 के वाद के विचारण के दौरान प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि में से अप्रार्थी संख्या 3 हेतराम द्वारा 30 बीघा भूमि का इकरारनामा दिनांक 30–10–2001 को किया जा चुका है । प्रार्थना–पत्र में यह भी अंकित किया गया कि अप्रार्थी द्वारा बैयनामा तस्दीक नहीं करवाये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा एडीजे–2 श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ में वाद दायर किया हुआ है जिसमें आगामी तारीख पेशी नियत है । हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी इकरारनामें के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 के अन्तर्गत वाद में पक्षकार बनना चाह रहा है । प्रार्थी द्वारा उक्त इकरारनामें का वाद सिविल कोर्ट में दायर किया हुआ है । इसलिए राजस्व न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पैतृक भूमि में हिस्से बाबत वाद में प्रार्थी के हित प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि प्रार्थी की हैसियत एक इकरारनामें के आधार पर क्रेता की है एवं विक्रेता से अधिक अधिकार उसे प्राप्त नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3538 / 2003 / गंगानगर पूर्णराम बनाम सुभाष	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हो सकते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे हितबद्ध पक्षकार नहीं मानकर उसका प्रार्थना–पत्र खारिज किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । यह न्यायालय का स्वविवेकाधिकार है कि वह किसी प्रकरण में पक्षकार के नाम को काट सकेगा एवं जोड सकेगा। इसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2003 पेज 347 अवलोकनीय है –

Code of Civil Procedure, Order 1, Rule 10 –Revision filed against order of trial Court-Held,order passed by S.D.O. is well discussed and detailed- There is no legal or judicical error in the order-All objection raised by petitioner have been considered and judicial order has been passed-No interference is required.

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अन्तरिम आदेश है, जो निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं आता है जिसकी निगरानी पोषणीय नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल के ''जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम'' निगरानी संख्या 9867 / 2012 / नागौर के प्रकरण में माननीय पूर्णपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकार के अन्तरिम आदेश की निगरानी राजस्व मण्डल में पोषणीय नहीं है। अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है ।

7– अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक .10–1–2022 को उपस्थित हो।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तुरंत लौटाया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य